E-mail

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

संकल्प

विभागीय संकल्प संख्या–1739 दिनांक–30.09.2019 द्वारा श्री राम कुमार प्रसाद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, लोहरदगा अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी, पलामू सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय–कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची) के विरूद्ध उक्त पदस्थापन काल में ऋण वितरण में अनियमितता बरतने, मनमाने ढंग से कार्य करने, आदेश की अवहेलना करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, गबन को छुपाने के उद्देश्य से कार्य करने इत्यादि का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी श्री विनोद चन्द्र झा के द्वारा पत्रांक–24 दिनांक–20.01.2020 द्वारा अपना कार्यकाल दिनांक–13.01.2020 को समाप्त होने का उल्लेख करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख मूल में विभाग को वापस कर दिया गया।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक–1577 दिनांक–28.02.2020 द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज (सेवानिवृत भा0प्र0से0), विभागीय जाँच पदाधिकारी को विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग आवंटित किया गया है।

अतः उक्त निर्गत संकल्प को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री गौरी शंकर मिंज (सेवानिवृत भा0प्र0से0), विभागीय जाँच पदाधिकारी को श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. उक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
27/4/2020
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–02/निग0–27/2019 सह0 543 / **राँची, दिनांक** 28.04.2020

प्रतिलिपिः–श्री गौरी शंकर मिंज, विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची, कार्यालय नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची को विभागीय कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण मूल अभिलेख (विभागीय कार्यवाही अभिलेख संख्या–50/2019) सहित/प्रस्तोता पदाधिकारी, श्री कुमोद कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गुमला एवं श्री राम कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, लोहरदगा अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी, पलामू सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय–कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/2020
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–02/निग0–27/2019 सह0 543 / **राँची, दिनांक** 28.04.2020

प्रतिलिपिः–1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त (वै0दा0नि0कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/2020
सरकार के अपर सचिव।

कृ0पृ0उ0

D:\S.Murmu\2014-2017\Sankalp.docx

ज्ञापांकः—02 / निग0—27 / 2019 सह0 543 / राँची, दिनांक 28.04.2020

प्रतिलिपिः—माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव / निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, प्रभारी स्थापना शाखा, सहकारिता प्रभाग / संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित नोडल पदाधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/4/2020

सरकार के अपर सचिव।

D:\S.Murmu\2014-2017\Sankalp.docx